तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.5.19	वकील प्रार्थी उपस्थित / विप्रार्थी अनुपस्थित / PO साहब किन्हीं कार्यों में व्यस्त है पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु puse 30.5.19 को पेश हो / (initial)	
30.9.19	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] कार्य में व्यस्त है। इसलिए होकर पत्रावली दिनांक 8/11/19 को पेश है। (initial)	
8/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय Strike ... है। इसलिए होकर पत्रावली दिनांक 15/11/19 को पेश है। (initial)	
15/11/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी से बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट सही होना स्वीकार किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/11/19 को पेश हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	
22/11/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) (प्रमोद सीरवी) RAS उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना, जिला–बाड़मेर

मु.न. 16/2017

प्रार्थी

1. हडमतसिंह पुत्र प्रतापसिंह
   जाति राजपूत निवासी पादरडीखुर्द तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. करनाराम पुत्र अमराराम
   जाति पुरोहित निवसी पादरडीखुर्द तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

उपस्थित :–

1. श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी – एक तरफा

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद सीरवी, आर.ए.एस.

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22.11.19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम पादरडी के खसरा नम्बर 154 रकबा 0.0567 है0 गे0मु0ढाणी व खसरा नम्बर 155 रकबा 4.1926 किस्म रेतली से बुडीवाडा से पादरडी खुर्द कटान मार्ग खसरा नम्बर 145 तक आने जाने हेतु विप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पादरडी खुर्द के खसरा नम्बर 156 रकबा 1.1898 है0 में से उपयोग में करता है। संलग्न परिशिष्ठ "अ" बरंग लाल अनुसार रास्ते पीढीयों पुराना कदीमी रास्ता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 154 व 155 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 156 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 3768 दिनांक 27.09.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पादरडी खुर्द में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 154 रकबा 0.0567 गे.मु.ढाणी व खसरा नम्बर 155 रकबा 4.1926 किस्म रेतली में आवागमन हेतु ग्राम पादरडी खुर्द के खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 1.1898 किस्म रेतली में से मांग की गई है। मौका जांच अनुसार ग्राम मूठली से बूडीवाडा जाने वाला रास्ता जो खसरा नम्बर 145 गे0मु0 राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है के दक्षिणी दिशा में विप्रार्थी के खसरा नम्बर 156 की पूर्वी माठ के सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 155 में आवागमन हेतु सबसे नजदीकी उपयोगी विकल्प है। प्रार्थी के खेत से राजकीय कटान मार्ग तक

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

पहुंचने हेतु अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 156 में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 33 गट्ठा एवं चौडाई 3 गट्ठा कुल रकबा 0–05 बीघा है। नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ ''अ'' में प्रस्तावित रास्ता मार्क C से D बरंग लाल अंकित किया गया है।

प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट कमांक 3768 दिनांक 27.09.2019 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''C से D – लाल रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 154 व 155 ग्राम पादरडी खुर्द में आने–जाने हेतु विप्राथी के ग्राम पादरडी खुर्द के खेत खसरा नम्बर 156 में से लम्बाई 33 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा कुल रकबा 0–05 बीघा रास्ते हेतु बरंग ''लाल'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.19 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2020.01.08 17:53:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: